निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर
प्रकरण संख्या 33/2024 (धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम)
सरकार जरिये श्रीमती बबीता यादव, प्रवर्तन निरीक्षक, जयपुर प्रथम।

प्रार्थी

बनाम

श्री रमेश चौधरी पुत्र श्री चांद राम, निवासी 04, श्री कृष्ण विहार, हैवन्स गार्डन के पीछे, जयपुर हाल निवासी प्लॉट नं. 22–ए, गणेश विहार, देवी नगर, जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्तशुदा 06 घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 किग्रा (04 एचपीसीएल, 02 बी.पी.सी.एल.) एक वाणिज्यिक सिलेण्डर क्षमता 19 किग्रा आईओसी, 02 सिलेण्डर रिलायन्स क्षमता 13.5 किग्रा, 01 सिलेण्डर रिलायन्स क्षमता 17 किग्रा, 01 सिलेण्डर गो गैस क्षमता 19 किग्रा, 01 घरेलू गैस सिलेण्डर एचपीसी क्षमता 5 किग्रा एवं 49 अप्रमाणित छोटे सिलेण्डर(38 खाली एवं 14 भरे हुए) मय 181.600 किग्रा एलपीजी, 65 रेग्यूलेटर, 01 बांसूरी व एक वजन मशीन को राजसात करने बाबत।

उपस्थित :–

1. पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
2. श्री नीरज शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक 27.02.2025

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 26.04.2024 को जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलण्डरों का वाणिज्यिक दुरूपयोग करने की सूचना प्राप्त होने पर बहमराह प्रवर्तन स्टाफ के साथ पुलिस थाना श्याम नगर द्वारा प्रेषित व्हॉट्सअप लोकेशन पर पहुंच कर जांच की गई। वक्त जांच मौके पर श्री रमेश चौधरी उपस्थित मिले जिन्होने स्वयं को किराएदार होना बताया। वक्त जांच मौके पर 06 घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 किग्रा (04 एचपीसीएल, 02 बी.पी.सी.एल.) एक वाणिज्यिक सिलेण्डर क्षमता 19 किग्रा आईओसी, 02 सिलेण्डर रिलायन्स क्षमता 13.5 किग्रा, 01 सिलेण्डर रिलायन्स क्षमता 17 किग्रा, 01 सिलेण्डर गो गैस क्षमता 19 किग्रा, 01 घरेलू गैस सिलेण्डर एचपीसी क्षमता 5 किग्रा एवं 49 अप्रमाणित छोटे सिलेण्डर(38 खाली एवं 14 भरे हुए) मय 181.600 किग्रा एलपीजी, 65 रेग्यूलेटर, 01 बांसूरी व एक वजन मशीन से अवैध रूप से अप्रार्थी द्वारा गैस रिफिलिंग किया जाना पाया गया है। अप्रार्थी द्वारा मौके पर गैस कनेक्शन संबंधी कोई कागजात पेश नहीं किये गये तथा कोई संतोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। मौके पर मैसर्स

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

अथर्व भारत गैस ऐजेन्सी अचरोल के प्रतिनिधि श्री गौरीशंकर को बुलाकर सिलेण्डरो का तौल कराया गया। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस का वाणिज्यिक दुरूपयोग कर कालाबाजारी में सिलेण्डर क्रय कर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लघंन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। इस तरह जब्तशुदा 06 घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 किग्रा (04 एचपीसीएल, 02 बी. पी.सी.एल.) एक वाणिज्यिक सिलेण्डर क्षमता 19 किग्रा आईओसी, 02 सिलेण्डर रिलायन्स क्षमता 13.5 किग्रा, 01 सिलेण्डर रिलायन्स क्षमता 17 किग्रा, 01 सिलेण्डर गो गैस क्षमता 19 किग्रा, 01 घरेलू गैस सिलेण्डर एचपीसी क्षमता 5 किग्रा एवं 49 अप्रमाणित छोटे सिलेण्डर(38 खाली एवं 14 भरे हुए) मय 181.600 किग्रा एलपीजी, 65 रेग्यूलेटर, 01 बांसूरी व एक वजन मशीन को राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एवं एल.पी.जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।

2. प्रकरण अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त सिलेण्डर की एल.पी.जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश 13.05.2024 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर्स को नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण करा कर पालना प्रतिवेदन भिजवाये। नोटिस अप्रार्थीगण जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री नीरज शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वक्त जांच मौके पर 06 घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 किग्रा (04 एचपीसीएल, 02 बी. पी.सी.एल.) एक वाणिज्यिक सिलेण्डर क्षमता 19 किग्रा आईओसी, 02 सिलेण्डर रिलायन्स क्षमता 13.5 किग्रा, 01 सिलेण्डर रिलायन्स क्षमता 17 किग्रा, 01 सिलेण्डर गो गैस क्षमता 19 किग्रा, 01 घरेलू गैस सिलेण्डर एचपीसी क्षमता 5 किग्रा एवं 49 अप्रमाणित छोटे सिलेण्डर(38 खाली एवं 14 भरे हुए) मय 181.600 किग्रा एलपीजी, 65 रेग्यूलेटर, 01 बांसूरी व एक वजन मशीन पाए गये है, जिनसे अवैध रिफिलिंग का कार्य किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा मौके पर गैस कनेक्शन संबंधी कोई कागजात पेश नहीं किये गये तथा कोई संतोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। घरेलू गैस केन्द्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को न्यून दर पर उपलब्ध कराई जाती हैं जिसका वाणिज्यिक उपयोग किया जाना वर्जित है एवं अप्रार्थी के हिस्से से निर्धारित सीमा से अधिक घरेलू एवं वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर जब्त किए गए है, जिनके स्वामित्व के कोई दस्तावेज अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए है। अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से रिफिलिंग का व्यापार किया जा रहा है। अप्रार्थी द्वारा घरेलू/वाणिज्यिक सिलेण्डर का दुरूपयोग कर कालाबाजारी कर सिलेण्डर क्रय कर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लघंन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा 06 घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 किग्रा (04 एचपीसीएल, 02 बी.पी.सी.एल.) एक

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

वाणिज्यिक सिलेण्डर क्षमता 19 किग्रा आईओसी, 02 सिलेण्डर रिलायन्स क्षमता 13.5 किग्रा, 01 सिलेण्डर रिलायन्स क्षमता 17 किग्रा, 01 सिलेण्डर गो गैस क्षमता 19 किग्रा, 01 घरेलू गैस सिलेण्डर एचपीसी क्षमता 5 किग्रा एवं 49 अप्रमाणित छोटे सिलेण्डर(38 खाली एवं 14 भरे हुए) मय 181.600 किग्रा एलपीजी, 65 रेग्यूलेटर, 01 बांसूरी व एक वजन मशीन को राजसात किये जाने के आदेश फरमावे।

5. उभय पक्ष द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक 26.04.2024 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

6. अप्रार्थी की ओर से जब्त गैस सिलेण्डर्स एवं अन्य सामग्री के स्वामित्व एवं अनाधिकृत तौर पर किए जा रहे रिफिलिंग के संबंध में कोई दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए है। मौके पर विभिन्न कंपनियों के छोटे–बड़े सिलेण्डर मय 181.600 किग्रा एलपीजी, रेग्यूलेटर, बांसूरी एवं वजन मशीन पाई गई है, जिससे गैस के अवैध भण्डारण एवं रिफिलिंग किए जाने की पुष्टि होती है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलू/वाणिज्यिक गैस का दुरूपयोग कर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियगन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लघंन किया जाना स्पष्ट जाहिर होता है। फलस्वरूप जब्त शुदा 06 घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 किग्रा (04 एचपीसीएल, 02 बी.पी.सी.एल.) एक वाणिज्यिक सिलेण्डर क्षमता 19 किग्रा आईओसी, 02 सिलेण्डर रिलायन्स क्षमता 13.5 किग्रा, 01 सिलेण्डर रिलायन्स क्षमता 17 किग्रा, 01 सिलेण्डर गो गैस क्षमता 19 किग्रा, 01 घरेलू गैस सिलेण्डर एचपीसी क्षमता 5 किग्रा एवं 49 अप्रमाणित छोटे सिलेण्डर(38 खाली एवं 14 भरे हुए) मय 181.600 किग्रा एलपीजी, 65 रेग्यूलेटर, 01 बांसूरी व एक वजन मशीन को राजसात किया जाना वाजिब समझते है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में अप्रार्थीगण के कब्जे से जब्त 06 घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 किग्रा (04 एचपीसीएल, 02 बी.पी.सी.एल.) एक वाणिज्यिक सिलेण्डर क्षमता 19 किग्रा आईओसी, 02 सिलेण्डर रिलायन्स क्षमता 13.5 किग्रा, 01 सिलेण्डर रिलायन्स क्षमता 17 किग्रा, 01 सिलेण्डर गो गैस क्षमता 19 किग्रा, 01 घरेलू गैस सिलेण्डर एचपीसी क्षमता 5 किग्रा एवं 49 अप्रमाणित छोटे सिलेण्डर(38 खाली एवं 14 भरे हुए) मय 181.600 किग्रा एलपीजी, 65 रेग्यूलेटर, 01 बांसूरी व एक वजन मशीन को राजसात (Confiscate) किये जाने आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त सिलेण्डर के अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश पूर्व में दिनांक 13.05.2024 को पारित किये जा चुके है तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष के निर्धारित मद में जमा करा कर पालना सुनिश्चित करें।

8. निर्णय प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

9. निर्णय आज दिनांक 27.02.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner